

24-5-22

प्राजावली मेश हुई / वकील पक्षाचारान अनुपस्थित
वकीलवादी व प्रतिवादी दोनों को आपातपत्र समग्र तक
कार्यवाही आवाज लगवाई गई। लेकिन कोई उपस्थित
नहीं हुए। और ना ही लम्बे समय से प्रतिवादी को
तलबों हेतु तलवाना जारी है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 री. सी.
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 को तहत तलवाना
कोर्ट वास्तविक मेश नहीं करेगा व अदम हाजरी
अदम मेशी में कोर्ट क्रिया जाता है। प्राजावली को सल
शुभार होना नम्बर से नाम होना दाखिल करवा हो।
किंगम तुले आपातपत्र में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

